an>

Title: Need to cancel the No Objection Certificate issued by District Officer, Hardoi for establishing a slaughter house in Sandila Nagar in Misrikh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति जी, जनपद हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पशु-वधशाला के लिए दी गयी अनुमति के संबंध में मेरी प्रार्थना है। सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत 161 संडीला विधान सभा के औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से 25 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी ने आवंटित कर दी है जिसमें यह कंपनी पशु-वधशाला खोलने जा रही है। जिसके तहत कंपनी ने जिला अधिकारी हरदोई को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। वह प्रार्थना पत्र संडीला एसडीएम के पास पहुंचा, सीओ सन्डीला के पास पहुंचा, पुलिस इंस्पेक्टर सन्डीला के पास पहुंचा, जिन्होंने यह लिखा कि यहां पशु वधशाला नहीं खुलनी चाहिए। फिर भी डीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर वहां पर वधशाला खोलने की अनुमति दे दी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाए। वहां लोग अनशन पर बैठ गये हैं, यह एक गंभीर मामला है और 19 तारीख से लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसीलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र को निश्चित रूप से निरस्त करवाया जाए तथा यहाँ पशु वधशाला का निर्माण कभी भी न हो। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON :

Shri Jagdambika Pal may be allowed to associate with the matter raised by Shrimati Anju Bala.